Phone : 2470294(O), , Fax : 0294-2470682, Email: vcmpuat@sancharnet.in, vc@mpuat.ac.in

Maharana Pratap University of Agriculture and Technology,
University Campus, Udaipur – 313 001
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
विश्वविद्यालय परिसर, उदयपुर – 313 001

क्रमांकः–फ / मप्रकृप्रौविवि / विज्ञप्ति / 2006–07 / 2184 दिनांकः–26.12.2006

विज्ञप्ति

इच्छुक बेरोजगार कृषि स्नातकों से विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों पर निम्नांकित पौध (Planting Materials) निर्धारित दरों पर (शर्तों के अधीन) तैयार करने हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र. स.	पौध का नाम	निर्धारित दर(रू.) (प्रति सफल पौधा)
1	ऑवला	8.00
2	अमरूद	8.00
3	अनार	5.00
4	पपीता	1.60
5	नींबू (बीजू)	2.75
6	चीकू	22.00
7	खीरनी (मूल वृत)	12.00

शर्तों की जानकारी इस कार्यालय अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpuat.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

वित्त नियंत्रक

बेरोजगार कृषि स्नातकों द्वारा पौधे तैयार करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रस्ताव पत्र
(देशी आम की गुठलियों से मूल वृन्त तैयार कर मूल वृन्त पर ग्रफ्टिंग करने हेतु)

सेवामें,

अधिष्ठाता / निदेशक प्रसार / निदेशक अनुसंधान
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उदयपुर– (राज.)

विषयः आपके अधिनस्थ कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म .... (स्थान का नाम) पर देशी आम की गुठलियों से मूल वृन्त तैयार कर मूल वृन्त पर ग्रफ्टिंग करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर व शर्तो पर कार्य करना।

संदर्भः आपकी विज्ञप्ति क्रमांकः फ. / मप्रकृप्रौविवि / विज्ञप्ति / 2006–07 / 2184 दिनांक 26.12.2006

महोदय,

उपरोक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में मैं कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म ....(स्थान का नाम) पर देशी आम की गुठलियों से मूल वृन्त तैयार कर मूल वृन्त पर ग्रफ्टिंग करने कार्य का इच्छुक हूँ।

1. बेरोजगार कृषि स्नातक का नाम...
2. बेरोजगार कृषि स्नातक के पिता का नाम..
3. डाक का पूर्ण पता...

   ....
4. दूरभाष नम्बर (STD code)....................................मोबाइल...
5. विज्ञप्ति के अनुसार सहित निर्धारित दर प्रति सफल पौधे **रू. 10.00** है। मैं इस दर पर आपकी शर्तो के अनुरूप कार्य करने को सहमत हूँ। सहमति स्वरूप शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मैने हस्ताक्षर कर दिये है। आपकी स्वीकृति के पश्चात् आपके निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करने एवं शीध्र ही कार्य प्रारम्भ करने को भी सहमत हूँ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

दिनांकः...........................

नाम..................................

विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के क्रम में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की विभिन्न ईकाइयों पर देशी आम की गुठलियों से मूल वृन्त तैयार कर मूल वृन्त पर ग्राफ्टिंग कार्य करने की शर्तेः–

1. कार्य की निर्धारित दर **रू. 10.00 प्रति सफल ग्राफ्टेड पौधे** की होगी।
2. बेरोजगार कृषि स्नातक को देशी आम की गुठलियों से मूल वृन्त तैयार कर एवं मूल वृंत पर ग्राफ्टिंग का कार्य .... (कार्यालय का नाम) पर करना होगा। पौध की मात्रा का निर्धारण सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
3. बेरोजगार कृषि स्नातक को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार **देशी आम गुठली की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर वहन करनी होगी** एवं गुठलियों का निरीक्षण विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा किया जावेगा।
4. बेरोजगार कृषि स्नातक को देशी आम की गुठलियों को बाविस्टीन 2 ग्प्रम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करनी होगी। अच्छी वर्मी कम्पोस्ट खाद का विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के उपरान्त ही बेरोजगार कृषि स्नातक पौलीथीन की थैली में भरने हेतु उपयोग करेगा।
5. पौध सरंक्षण रसायन, खाद, मिट्टी, पौलीथीन बेग आदि की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
6. बेरोजगार कृषि स्नातक को देशी आम के मूलवृन्त पौधे विश्वविद्यालय/प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार उपयुक्त मिश्रण नीचे अंकित **शर्त संख्या 13** के अनुसार (खाद, दवा, मिट्टी) 15 x 30 सेमी गजटेड आकार की 200 माइक्रोन भारी गेज के काले रंग की गजटेड पौलीथीन बेग में तैयार करने होगें। मूल वृन्त तैयार होने पर थैलियों को व्यवस्थित रूप से उचित स्थान पर जमाना होगा।
7. बेरोजगार कृषि स्नातक को ग्प्रफ्टिंग कार्य साधारणतया जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2008 में सम्पन्न करना होगा। बेरोजगार कृषि स्नातक द्वारा सफल पौधों की आपूर्ति विश्वविद्यालय को करने पर ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा **शर्त संख्या 1** के अनुसार भुगतान देय होगा। इससे पूर्व किया गया भुगतान अन्तरिम (Interim) होगा।
8. बेरोजगार कृषि स्नातक को स्वीकृति के तत्काल बाद कार्य शुरू करना होगा। ग्राफ्टिंग योग्य देशी आम मूलवृन्त पौधे 9 से 12 इंच लम्बाई, मोटाई पेंसिल साईज वृद्वि के स्वस्थ्य, कीट एवं रोग रहित होने चाहियें।
9. बेरोजगार कृषि स्नातक को यह कार्य वर्ष 2008 की समाप्ति तक सम्पन्न करना होगा।
10. उक्त कार्य को अनुकूल मौसम एवं उचित समय पर सम्पन्न करना होगा।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

11. पौलीथीन थैली गजटेड की साईज 15 x 30 सेमी (200 माइक्रोन गेज) काले रंग की होनी चाहिये।

12. नर्सरी मिश्रण का अनुपात **मिट्टी (तालाब की मिट्टी), रेत व वर्मीकम्पोस्ट क्रमश 1:1:1 होना चाहियें।** इसकी व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को अपने स्तर पर करनी होगी। इस मिश्रण को थैली में निर्धारित सीमा (विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्देशों में) तक भरना होगा।

13. भुगतान सफल ग्राफटेड आम के पौधों की गणना के आधार पर बेरोजगार कृषि स्नातक को किया जायेगा। ग्राफटेड सफल पौधे की स्वीकारोक्ती के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों का निर्णय अन्तिम होगा।

14. कार्य की अधिकता को देखते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा यह कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा निष्पादित कराया जा सकता है।

15. निर्धारित दर से देय **राशि रू. 10.00 प्रति** सफल पौधे का अन्तरिम/अन्तिम भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा।

क्र.स.	कार्य का स्तर	भुगतान निर्धारित दर का % में
1.	देशी आम गुठली क्रय कर पौलीथीन की निर्धारित आकार की थैली में बुवाई के पश्चात् अंकुरण 2 चक्र आने पर।	20%
2.	सफल देशी आम मूलवृन्त पर ग्राफटिंग कार्य करने के पश्चात् दो चक्र आने की अवस्था पर	20%
3.	शेष 60% का भुगतान पूर्ण ग्राफटेड पौधे की शाख वृन्त की वृद्वि जोड़ से 12 इंच होने पर व सुपुर्दगी के पश्चात् किया जावेगा।	60%
	कुल	**100%**

विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला भुगतान किसी भी स्थिति में कुल सफल ग्राफटेड आम के पौधों के लिये उक्त तालिका के क्रम संख्या 3 में वर्णित स्थिति के लिये निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगा। अन्तरिम भुगतान करते समय पूर्व में किसी चरण में अधिक भुगतान की स्थिति में अगले चरण में कम भुगतान किया जावेगा, किन्तु अन्तिम भुगतान करते समय कोई राशि वसूली योग्य बनती है, तो उसे नकद जमा करानी होगी या अन्य देय भुगतान से कटौती की जावेगी।

16. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सफल पौधे प्राप्त करने से पहले तैयार पौधों का रख–रखाव बेरोजगार कृषि स्नातक को अपने व्यय पर करना होगा।

17. आयकर/अन्य कर की देयता पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती विश्वविद्यालय के अधिकारियो द्वारा की जायेगी।

18. पौध तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान पौधों की हानि (प्राकृतिक व मानवीय कारणों के कारण) के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

19. बेरोजगार कृषि स्नातक को श्रम कानूनों (न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि आदि प्रावधानों) की अक्षरसः पालना करनी होगी। विश्वविद्यालय का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
20. सिंचाई के स्त्रोत एवं साधन विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध करायें जावेगें। इस कार्य हेतु श्रम की व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
21. बेरोजगार कृषि स्नातक को खरपतवार निकालना, निराई–गुडाई, पौध सरंक्षण छिडकाव (आवश्यकता होने पर) सिंचाई कार्य, देशी फुटान हटाना आदि कार्य पूर्ण करने होगे।
22. उन्नत किस्म की शाख वृन्त अधिकारियों के निर्देशानुसार बेरोजगार कृषि स्नातक मात् वृक्ष से स्वयं काट कर लायेगा एवं मूल वृन्त पर लगायेगा ।
23. बेरोजगार कृषि स्नातक को कार्य अवधि के दौरान सफल ग्राफ्टेड आम के पौधे तैयार कर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
24. **मूल वृन्त से ग्रफटिंग की सफलता 55% से 60% अपेक्षित है।**
25. जिन थैलियों में सफल ग्रफटेड पौधे तैयार नहीं होगें, उन थैलियों को कार्य समाप्ति के एक माह की अवधि में महाविद्यालय परिसर से उठाने का दायित्व बेरोजगार कृषि स्नातक का होगा।
26. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सेवा कर बेरोजगार कृषि स्नातक को पृथक से देय नही होगा।
27. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा कार्य की मात्रा (पौध की संख्या) तय की जायेगी। कार्य को बढ़ाना व कम करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा। उक्त कार्य एक से अधिक व्यक्तियों से करवाया जा सकता है तथा इसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा बेरोजगार कृषि स्नातक को कोई भी क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
28. विश्वविद्यालय अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर कृषि बेरोजगार स्नातक को 7 दिन में रू. 100/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
29. विश्वविद्यालय या अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर 10 दिन में कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य नियत तिथि तक प्रारम्भ नहीं करने पर सम्बन्धित कृषि बेरोजगार स्नातक को भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
30. इस अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त विवादों की सुनवाई के लिए जिला उदयपुर राजस्थान में स्थित न्यायालयों को ही श्रवणाधिकार होगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

बेरोजगार कृषि स्नातकों द्वारा पौधे तैयार करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रस्ताव पत्र
(बीजू अमरूद के मूल वृन्त तैयार कर सफल ग्राफ्टिंग करने हेतु)

सेवामें,

अधिष्ठाता / निदेशक प्रसार / निदेशक अनुसंधान
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उदयपुर– (राज.)

विषयः आपके अधिनस्थ कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म .... (स्थान का नाम) पर बीजू अमरूद के मूल वृन्त तैयार कर सफल ग्राफ्टिंग करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर व शर्तो पर कार्य करना।

संदर्भः आपकी विज्ञप्ति क्रमांकः फ. / मप्रकृप्रौविवि / विज्ञप्ति / 2006–07 / 2184 दिनांक 26.12.2006

महोदय,

उपरोक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में मैं कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म ....(स्थान का नाम) पर बीजू अमरूद के मूल वृन्त तैयार कर सफल ग्राफ्टिंग करने के कार्य का इच्छुक हूँ।

1. बेरोजगार कृषि स्नातक का नाम..
2. बेरोजगार कृषि स्नातक के पिता का नाम..
3. डाक का पूर्ण पता...

   ....
4. दूरभाष नम्बर (STD code)....................................मोबाइल..
5. विज्ञप्ति के अनुसार सहित निर्धारित दर प्रति सफल पौधे **रू. 8.00** है। मैं इस दर पर आपकी शर्तो के अनुरूप कार्य करने को सहमत हूँ। सहमति स्वरूप शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मैने हस्ताक्षर कर दिये है। आपकी स्वीकृति के पश्चात् आपके निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करने एवं शीध्र ही कार्य प्रारम्भ करने को भी सहमत हूँ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

दिनांकः...........................

नाम..................................

विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के क्रम में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के विभिन्न ईकाइयों पर बीजू अमरूद के मूल वृन्त तैयार कर सफल ग्राफ्टिंग करने की कार्य की शर्तेः–

1. विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के अनुसार **निर्धारित दर रू. 8.00 प्रति सफल पौधे** होगी।
2. बेरोजगार कृषि स्नातक को बीजू अमरूद के मूल वृन्त तैयार कर सफल ग्राफ्टिंग का कार्य ....(कार्यालय का नाम) पर करना होगा। पौध की मात्रा का निर्धारण सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
3. बेरोजगार कृषि स्नातक को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार **अमरूद के बीज की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर वहन करनी होगी** एवं बीजों का निरीक्षण विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा किया जावेगा।
4. बेरोजगार कृषि स्नातक को अमरूद के बीज को बाविस्टीन 2 ग्रम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करनी होगी। अच्छी वर्मी कम्पोस्ट खाद का विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के उपरान्त ही बेरोजगार कृषि स्नातक पौलीथीन की थैली में भरने हेतु उपयोग करेगा।
5. पौध सरंक्षण रसायन, खाद, मिट्टी, पौलीथीन बेग आदि की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
6. बेरोजगार कृषि स्नातक को देशी बीजू अमरूद के मूलवृन्त पौधे विश्वविद्यालय/प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार उपयुक्त मिश्रण नीचे अंकित **शर्त संख्या 13** के अनुसार (खाद, दवा, मिट्टी) 4 x 8.5 इंच गजटेड आकार की 200 माइक्रोन भारी गेज के काले रंग की गजटेड पौलीथीन बेग में तैयार करने होगें। मूल वृन्त तैयार होने पर थैलियों को व्यवस्थित रूप से उचित स्थान पर जमाना होगा।
7. बेरोजगार कृषि स्नातक को ग्रफ्टिंग कार्य साधारणतया जुलाई, अगस्त 2007 में सम्पन्न करना होगा। बेरोजगार कृषि स्नातक द्वारा सफल पौधों की आपूर्ति विश्वविद्यालय को करने पर ही **शर्त संख्या 1** के अनुसार भुगतान देय होगा। इससे पूर्व किया गया भुगतान अन्तरिम (Interim) होगा। सफल ग्रफटेड पौधों की आपूर्ति अगस्त 2007 तक करनी होगी।
8. बेरोजगार कृषि स्नातक को स्वीकृति के तत्काल बाद कार्य शुरू करना होगा। ग्रफटिंग योग्य बीजू अमरूद के मूलवृन्त पौधे 9 से 12 इंच लम्बाई, मोटाई पेंसिल साईज वृद्धि के स्वस्थ्य, कीट एवं रोग रहित होने चाहियें।
9. बेरोजगार कृषि स्नातक को यह कार्य अगस्त 2007 तक सम्पन्न करना होगा।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

10. उक्त कार्य को अनुकूल मौसम एवं उचित समय पर सम्पन्न करना होगा।
11. पौलीथीन थैली गजटेड की साईज 4 x 8.5 इंच (200 माइक्रोन गेज) काले रंग की होनी चाहिये।
12. नर्सरी मिश्रण का अनुपात **मिट्टी (तालाब की मिट्टी), रेत व वर्मीकम्पोस्ट क्रमश 1:1:1 होना चाहियें।** इसकी व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को अपने स्तर पर करनी होगी। इस मिश्रण को थैली में निर्धारित सीमा (विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्देशों में) तक भरना होगा।
13. भुगतान सफल ग्राफ्टेड अमरूद के पौधों की गणना के आधार पर बेरोजगार कृषि स्नातक को किया जायेगा। ग्राफ्टेड सफल पौधे की स्वीकारोक्ती सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों का निर्णय अन्तिम होगा।
14. कार्य की अधिकता को देखते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा यह कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा निष्पादित कराया जा सकता है।
15. निर्धारित दर से देय **राशि रू. 8.00 प्रति** सफल पौधे का अन्तरिम/अन्तिम भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा।

क्र.स.	कार्य का स्तर	भुगतान निर्धारित दर का % में
1.	अमरूद के बीज क्रय कर गजटेड पौलीथीन बेग निर्धारित आकार में बुवाई के पश्चात् अंकुरण होने तथा 9–12 इंच की बढ़वार आने पर।	20%
2.	गग्रफटेड पौधे की शाख वृन्त की वृद्धि जोड़ से 6 इंच तक होने पर	20%
3.	शेष 60% का भुगतान पूर्ण सफल ग्राफ्टेड अमरूद पौधे की शाख वृन्त की वृद्धि जोड़ से 12" से 18" होने पर व सुपुर्दगी के पश्चात् किया जावेगा।	60%
	कुल	**100%**

विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला भुगतान किसी भी स्थिति में कुल सफल गग्रफटेड अमरूद के पौधों के लिये उक्त तालिका के क्रम संख्या 3 में वर्णित स्थिति के लिये निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगा। अन्तरिम भुगतान करते समय पूर्व में किसी चरण में अधिक भुगतान की स्थिति में अगले चरण में कम भुगतान किया जावेगा, किन्तु अन्तिम भुगतान करते समय कोई राशि वसूली योग्य बनती है, तो उसे नकद जमा करानी होगी या अन्य देय भुगतान से कटौती की जावेगी।

16. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सफल पौधें प्राप्त करने से पहले तैयार पौधों का रख–रखाव बेरोजगार कृषि स्नातक को अपने व्यय पर करना होगा।
17. आयकर/अन्य कर की देयता पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
18. पौध तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान पौधों की हानि (प्राकृतिक व मानवीय कारणों के कारण) के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

19. बेरोजगार कृषि स्नातक को श्रम कानूनों (न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि आदि प्रावधानों) की अक्षरसः पालना करनी होगी। विश्वविद्यालय का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
20. सिंचाई के स्त्रोत एवं साधन विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर उपलब्धता के अनुसार बेरोजगार कृषि स्नातक को उपलब्ध करायें जावेगें। इस कार्य हेतु श्रम की व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
21. बेरोजगार कृषि स्नातक को खरपतवार निकालना, निराई–गुडाई, पौध सरंक्षण छिडकाव (आवश्यकता होने पर) सिंचाई कार्य, देशी फुटान हटाना आदि कार्य पूर्ण करने होगे।
22. उन्नत किस्म की शाख वृन्त अधिकारियों के निर्देशानुसार बेरोजगार कृषि स्नातक मातृ से स्वयं काट कर लायेगा एवं मूल वृन्त पर लगायेगा ।
23. बेरोजगार कृषि स्नातक को कार्य अवधि के दौरान सफल ग्राफ्टेड अमरूद के पौधे तैयार कर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
24. **कुल मूल वृन्त की संख्या से ग्रफटिंग की सफलता 55% से 60% अपेक्षित है।**
25. जिन थैलियों में सफल ग्रफटेड पौधे तैयार नहीं होगें, उन थैलियों को कार्य समाप्ति के एक माह की अवधि में महाविद्यालय परिसर से उठाने का दायित्व बेरोजगार कृषि स्नातक का होगा।
26. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सेवा कर बेरोजगार कृषि स्नातक को पृथक से देय नही होगा।
27. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा कार्य की मात्रा (पौध की संख्या) तय की जायेगी। कार्य को बढ़ाना व कम करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा। उक्त कार्य एक से अधिक व्यक्तियों से करवाया जा सकता है तथा इसके सम्बन्ध में बेरोजगार कृषि स्नातक को कोई भी क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
28. विश्वविद्यालय अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर कृषि बेरोजगार स्नातक को 7 दिन में रू. 100/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
29. विश्वविद्यालय या अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर 10 दिन में कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य नियत तिथि तक प्रारम्भ नहीं करने पर सम्बन्धित कृषि बेरोजगार स्नातक को भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
30. इस अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त विवादों की सुनवाई के लिए जिला उदयपुर राजस्थान में स्थित न्यायालयों को ही श्रवणाधिकार होगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

बेरोजगार कृषि स्नातकों द्वारा पौधे तैयार करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रस्ताव पत्र (बीजू ऑवले के मूल वृन्त तैयार कर बंडिग द्वारा सफल बडेड ऑवला पौधे तैयार करने हेतु)

सेवामें,

अधिष्ठाता / निदेशक प्रसार / निदेशक अनुसंधान
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उदयपुर– (राज.)

विषयः आपके अधिनस्थ कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म .... (स्थान का नाम) पर बीजू ऑवले के मूल वृन्त तैयार कर बंडिग द्वारा सफल बडेड ऑवला पौधे तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर व शर्तो पर कार्य करना ।

संदर्भः आपकी विज्ञप्ति क्रमांकः फ. / मप्रकृप्रौविवि / विज्ञप्ति / 2006–07 / 2184 दिनांक 26.12.2006

महोदय,

उपरोक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में मैं कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म ....(स्थान का नाम) पर बीजू ऑवले के मूल वृन्त तैयार कर बंडिग द्वारा सफल बडेड ऑवला पौधे तैयार कार्य करने का इच्छुक हूँ।

1. बेरोजगार कृषि स्नातक का नाम...
2. बेरोजगार कृषि स्नातक के पिता का नाम...
3. डाक का पूर्ण पता...

   ....
4. दूरभाष नम्बर (STD code)...................................मोबाइल..
5. विज्ञप्ति के अनुसार सहित निर्धारित दर प्रति सफल पौधे **रू. 8.00** है। मैं इस दर पर आपकी शर्तो के अनुरूप कार्य करने को सहमत हूँ। सहमति स्वरूप शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मैने हस्ताक्षर कर दिये है। आपकी स्वीकृति के पश्चात् आपके निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करने एवं शीध्र ही कार्य प्रारम्भ करने को भी सहमत हूँ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

दिनांकः...........................

नाम.................................

विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के क्रम में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की विभिन्न ईकाइयों पर
बीजू ऑवले के मूल वृन्त तैयार कर बंडिग द्वारा सफल बडेड ऑवला पौधे तैयार करने की कार्य शर्तेः–

1. विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के अनुसार **निर्धारित दर रू. 8.00 प्रति सफल पौधे** होगी।
2. बेरोजगार कृषि स्नातक को बीजू ऑवले के मूल वृन्त तैयार कर बंडिग द्वारा सफल ऑवला बडेड पौध का कार्य ....(कार्यालय का नाम) होगा। पौध की मात्रा का निर्धारण सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
3. बेरोजगार कृषि स्नातक को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार **देशी ऑवले के बीज की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर वहन करनी होगी** एवं बीजों का निरीक्षण विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा किया जावेगा।
4. बेरोजगार कृषि स्नातक को ऑवले के बीज को बाविस्टीन 2 गग्रम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करनी होगी। अच्छी वर्मी कम्पोस्ट खाद का विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के उपरान्त ही बेरोजगार कृषि स्नातक पौलीथीन की थैली में भरने हेतु उपयोग करेगा।
5. पौध सरंक्षण रसायन, खाद, मिट्टी, पौलीथीन बेग आदि की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
6. बेरोजगार कृषि स्नातक को देशी ऑवले के मूलवृन्त पौधे विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार उपयुक्त मिश्रण नीचे अंकित **शर्त संख्या 13** के अनुसार (खाद, दवा, मिट्टी) 4 x 10 इंच गजटेड आकार की 200 माइक्रोन भारी गेज के काले रंग की गजटेड पौलीथीन बेग में तैयार करने होगें। मूल वृन्त तैयार होने पर थैलियों को व्यवस्थित रूप से उचित स्थान पर जमाना होगा।
7. बेरोजगार कृषि स्नातक को बडिंग कार्य साधारणतया जून से सितम्बर 2007 में सम्पन्न करना होगा। बेरोजगार कृषि स्नातक सफल पौधों की आपूर्ति विश्वविद्यालय को करने पर ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा **शर्त संख्या 1** के अनुसार भुगतान देय होगा। इससे पूर्व किया गया भुगतान अन्तरिम (Interim) होगा।
8. बेरोजगार कृषि स्नातक को स्वीकृति के तत्काल बाद कार्य शुरू करना होगा। बडिंग योग्य देशी ऑवला के मूलवृन्त पौधे 9 से 12 इंच लम्बाई, मोटाई पेंसिल साईज वृद्धि के स्वस्थ्य, कीट एवं रोग रहित होने चाहियें।
9. बेरोजगार कृषि स्नातक को यह कार्य वर्ष 2007 की समाप्ति तक सम्पन्न करना होगा तथा 80% सफल पौधों की आपूर्ति जुलाई, अगस्त 2007 में करनी होगी।
10. बेरोजगार कृषि स्नातक उक्त कार्य को अनुकूल मौसम एवं उचित समय पर सम्पन्न करना होगा।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

11. पौलीथीन गजटेड थैली की साईज 4 x 10 इंच (200 माइक्रोन गेज) काले रंग की होनी चाहिये।
12. नर्सरी मिश्रण का अनुपात **मिट्टी (तालाब की मिट्टी), रेत व वर्मीकम्पोस्ट क्रमश 1:1:2 होना चाहियें।** इसकी व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को अपने स्तर पर करनी होगी। इस मिश्रण को थैली में निर्धारित सीमा (विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्देशों में) तक भरना होगा।
13. भुगतान सफल बड़ेड पौधों की गणना के आधार पर बेरोजगार कृषि स्नातक को किया जायेगा। सफल पौधे की स्वीकारोक्ती के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों का निर्णय अन्तिम होगा।
14. कार्य की अधिकता को देखते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा यह कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा निष्पादित कराया जा सकता है।
15. निर्धारित दर से देय **राशि रू. 8.00 प्रति** सफल पौधे का अन्तरिम/अन्तिम भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा।

क्र.स.	कार्य का स्तर	भुगतान निर्धारित दर का % में
1.	ऑवला के बीज क्रय कर पौलीथीन की निर्धारित आकार की थैली में बुवाई के पश्चात् अंकुरण तथा 9—12 इंच की बढ़वार आने पर।	20%
2.	सफल देशी ऑवला मूलवृन्त पर बडिंग कार्य करने के पश्चात् बडेड स्प्राउट की बढ़वार 12 इंच आने की अवस्था पर	20%
3.	शेष 60% का भुगतान सफल पूर्ण बडेड पौधे की शाख वृन्त की वृद्वि जोड़ से 18 इंच होने पर व सुपुर्दगी के पश्चात् किया जावेगा।	60%
	कुल	**100%**

विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला भुगतान किसी भी स्थिति में कुल सफल बडेड ऑवले के पौधों के लिये उक्त तालिका के क्रम संख्या 3 में वर्णित स्थिति के लिये निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगा। अन्तरिम भुगतान करते समय पूर्व में किसी चरण में अधिक भुगतान की स्थिति में अगले चरण में कम भुगतान किया जावेगा, किन्तु अन्तिम भुगतान करते समय कोई राशि वसूली योग्य बनती है, तो उसे नकद जमा करानी होगी या अन्य देय भुगतान से कटौती की जावेगी।

16. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सफल पौधें प्राप्त करने से पहले तैयार पौधों का रख—रखाव बेरोजगार कृषि स्नातक को अपने व्यय पर करना होगा।
17. आयकर/अन्य कर की देयता पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

18. पौध तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान पौधों की हानि (प्राकृतिक व मानवीय कारणों के कारण) के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
19. बेरोजगार कृषि स्नातक को श्रम कानूनों (न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि आदि प्रावधानों) की अक्षरसः पालना करनी होगी। विश्वविद्यालय का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
20. सिंचाई के स्त्रोत एवं साधन विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध करायें जावेगें। इस कार्य हेतु श्रम की व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
21. बेरोजगार कृषि स्नातक को खरपतवार निकालना, निराई–गुडाई, पौध सरंक्षण छिडकाव (आवश्यकता होने पर) पूर्ण सिंचाई कार्य, देशी फुटान हटाना आदि कार्य पूर्ण करने होगे।
22. उन्नत किस्म की बडस्टिक अधिकारियों के निर्देशानुसार बेरोजगार कृषि स्नातक मात् वृक्ष से स्वयं बडस्टिक काट कर लायेगा एवं मूल वृन्त पर लगायेगा । बडस्टिक की तैयारी बेरोजगार कृषि स्नातक अपने स्तर पर करेगा।
23. बेरोजगार कृषि स्नातक को कार्य अवधि के दौरान बडेड ऑवला के सफल पौधे तैयार कर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
24. जिन थैलियों में सफल बडेड ऑवला पौधे तैयार नहीं होगें, उन थैलियों को कार्य समाप्ति के एक माह की अवधि में महाविद्यालय परिसर से उठाने का दायित्व बेरोजगार कृषि स्नातक का होगा।
25. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सेवा कर बेरोजगार कृषि स्नातक को पृथक से देय नही होगा।
26. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा कार्य की मात्रा (पौध की संख्या) तय की जायेगी। कार्य को बढ़ाना व कम करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा, उक्त कार्य एक से अधिक व्यक्तियों से करवाया जा सकता है तथा इसके सम्बन्ध में बेरोजगार कृषि स्नातक को कोई भी क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
27. विश्वविद्यालय अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर कृषि बेरोजगार स्नातक को 7 दिन में रू. 100/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
28. विश्वविद्यालय या अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर 10 दिन में कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य नियत तिथि तक प्रारम्भ नहीं करने पर सम्बन्धित कृषि बेरोजगार स्नातक को भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
29. इस अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त विवादों की सुनवाई के लिए जिला उदयपुर राजस्थान में स्थित न्यायालयों को ही श्रवणाधिकार होगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

बेरोजगार कृषि स्नातकों द्वारा पौधे तैयार करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रस्ताव पत्र
(कटिंग एवं गूंटी द्वारा अनार के पौध तैयार करने हेतु)

सेवामें,

अधिष्ठाता / निदेशक प्रसार / निदेशक अनुसंधान
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उदयपुर– (राज.)

विषयः आपके अधिनस्थ कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म .... (स्थान का नाम) पर कटिंग एवं गूंटी द्वारा अनार के पौधे तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर व शर्तो पर कार्य करना।

संदर्भः आपकी विज्ञप्ति क्रमांकः फ. / मप्रकृप्रौविवि / विज्ञप्ति / 2006–07 / 2184 दिनांक 26.12.2006

महोदय,

उपरोक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में मैं कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म ....(स्थान का नाम) पर कटिंग एवं गूंटी द्वारा अनार के पौधे तैयार करने का इच्छुक हूँ।

1. बेरोजगार कृषि स्नातक का नाम..
2. बेरोजगार कृषि स्नातक के पिता का नाम...
3. डाक का पूर्ण पता...

   ....
4. दूरभाष नम्बर (STD code)....................................मोबाइल..
5. विज्ञप्ति के अनुसार सहित निर्धारित दर प्रति सफल पौधे **रू. 5.00** है। मैं इस दर पर आपकी शर्तो के अनुरूप कार्य करने को सहमत हूँ। सहमति स्वरूप शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मैने हस्ताक्षर कर दिये है। आपकी स्वीकृति के पश्चात् आपके निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करने एवं शीध्र ही कार्य प्रारम्भ करने को भी सहमत हूँ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

दिनांकः...........................

नाम..................................

विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के क्रम में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की विभिन्न ईकाइयों पर कटिंग एवं गूंटी द्वारा अनार के पौधे तैयार करने की कार्य की शर्तेः–

1. विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के अनुसार **निर्धारित दर रू. 5.00 प्रति सफल पौधे** होगी।
2. बेरोजगार कृषि स्नातक को कटींग एवं गूंटी द्वारा अनार के पौधे तैयार करने का कार्य ....(कार्यालय का नाम) पर करना होगा। पौध की मात्रा का निर्धारण सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
3. अच्छी वर्मी कम्पोस्ट खाद का विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के उपरान्त ही बेरोजगार कृषि स्नातक पौलीथीन की थैली में भरने हेतु उपयोग करेगा।
4. पौध सरंक्षण रसायन, खाद, मिट्टी, पौलीथीन बेग आदि की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
5. बेरोजगार कृषि स्नातक को तैयार किए गये अनार के पौधे विश्वविद्यालय/प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार उपयुक्त मिश्रण नीचे अंकित **शर्त संख्या 11** के अनुसार (खाद, दवा, मिट्टी) 4 x 8.5 सेमी गजटेड आकार की 200 माइक्रोन भारी गेज के काले रंग की गजटेड पौलीथीन बेग में तैयार करने होगें। मूल वृन्त तैयार होने पर थैलियों को व्यवस्थित रूप से उचित स्थान पर जमाना होगा।
6. बेरोजगार कृषि स्नातक को कटिंग एवं गूंटी का कार्य साधारणतया जुलाई से सितम्बर 2007 में सम्पन्न करना होगा। यदि तकनीकी कारणों से उक्त अवधि में कार्य सम्भव न हो तो वर्ष 2007 के अन्त तक कटिंग व गूंटी का कार्य किया जा सकेगा। बेरोजगार कृषि स्नातक सफल पौधों की आपूर्ति विश्वविद्यालय को करने पर ही **शर्त संख्या 1** के अनुसार भुगतान देय होगा। इससे पूर्व किया गया भुगतान अन्तरिम (Interim) होगा।
7. बेरोजगार कृषि स्नातक को यह कार्य वर्ष 2007 की समाप्ति तक सम्पन्न करना होगा तथा 80% पौधों की आपूर्ति जुलाई 2007 में करनी होगी।
8. उक्त कार्य को अनुकूल मौसम एवं उचित समय पर सम्पन्न करना होगा।
9. गजटेड पौलीथीन थैली की साईज 4 x 8.5 सेमी (200 माइक्रोन गेज) काले रंग की होनी चाहिये।
10. नर्सरी मिश्रण का अनुपात **मिट्टी (तालाब की मिट्टी), रेत व वर्मीकम्पोस्ट क्रमश 1:1:1 होना चाहियें।** इसकी व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को अपने स्तर पर करनी होगी। इस मिश्रण को थैली में निर्धारित सीमा (विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्देशों में) तक भरना होगा।
11. भुगतान सफल अनार के पौधों की गणना के आधार पर बेरोजगार कृषि स्नातक को किया जायेगा। सफल पौधे की स्वीकारोक्ती के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों का निर्णय अन्तिम होगा।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

12. कार्य की अधिकता को देखते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा यह कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा निष्पादित कराया जा सकता है।
13. निर्धारित दर से देय **राशि रू. 5.00 प्रति** सफल पौधे का अन्तरिम/अन्तिम भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा।

क्र.स.	कार्य का स्तर	भुगतान निर्धारित दर का % में
1.	अनार के पौधों की कटिंग एवं गूंटी द्वारा पौधे तैयार कर काली पौलीथीन बैग में प्रतिरोपण करना।	20%
2.	कटिंग एवं गूंटी को पौलीथीन में लगाने के पश्चात् 6 इंच स्वस्थ वृद्धि पर।	20%
3.	शेष 60% का भुगतान कटिंग एवं गूंटी द्वारा तैयार सफल पौधे की वृद्धि जोड़ से 18 इंच होने पर व सुपुर्दगी के पश्चात् किया जावेगा।	60%
	कुल	**100%**

विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला भुगतान किसी भी स्थिति में कुल सफल पौधों के लिये उक्त तालिका के क्रम संख्या 3 में वर्णित स्थिति के लिये निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगा। अन्तरिम भुगतान करते समय पूर्व में किसी चरण में अधिक भुगतान की स्थिति में अगले चरण में कम भुगतान किया जावेगा, किन्तु अन्तिम भुगतान करते समय कोई राशि वसूली योग्य बनती है, तो उसे नकद जमा करानी होगी या अन्य देय भुगतान से कटौती की जावेगी।

14. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सफल पौधें प्राप्त करने से पहले तैयार पौधों का रख–रखाव बेरोजगार कृषि स्नातक को अपने व्यय पर करना होगा।
15. आयकर/अन्य कर की देयता पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
16. पौध तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान पौधों की हानि (प्राकृतिक व मानवीय कारणों के कारण) के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
17. बेरोजगार कृषि स्नातक को श्रम कानूनों (न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि आदि प्रावधानों) की अक्षरसः पालना करनी होगी। विश्वविद्यालय का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
18. सिंचाई के स्त्रोत एवं साधन विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध करायें जावेगें। इस कार्य हेतु श्रम की व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
19. बेरोजगार कृषि स्नातक को खरपतवार निकालना, निराई–गुडाई, पौध सरंक्षण छिडकाव (आवश्यकता होने पर) पूर्ण सिंचाई कार्य, देशी फुटान हटाना आदि कार्य पूर्ण करने होगे।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

20. उन्नत किस्म के मातृ वृक्ष विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जावेंगी।
21. बेरोजगार कृषि स्नातक को कार्य अवधि के दौरान अनार के सफल पौधे तैयार कर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
22. जिन थैलियों में सफल ग्रफटेड पौधे तैयार नहीं होगें, उन थैलियों को कार्य समाप्ति के एक माह की अवधि में महाविद्यालय परिसर से उठाने का दायित्व बेरोजगार कृषि स्नातक का होगा।
23. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सेवा कर बेरोजगार कृषि स्नातक को पृथक से देय नही होगा।
24. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा कार्य की मात्रा (पौध की संख्या) तय की जायेगी। कार्य को बढ़ाना व कम करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा, उक्त कार्य एक से अधिक व्यक्तियों से करवाया जा सकता है तथा इसके सम्बन्ध में बेरोजगार कृषि स्नातक को कोई भी क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
25. विश्वविद्यालय अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर कृषि बेरोजगार स्नातक को 7 दिन में रू. 100/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
26. विश्वविद्यालय या अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर 10 दिन में कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य नियत तिथि तक प्रारम्भ नहीं करने पर सम्बन्धित कृषि बेरोजगार स्नातक को भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
27. इस अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त विवादों की सुनवाई के लिए जिला उदयपुर राजस्थान में स्थित न्यायालयों को ही श्रवणाधिकार होगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

बेरोजगार कृषि स्नातकों द्वारा पौधे तैयार करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रस्ताव पत्र
(पपीते के पौधे तैयार करने हेतु)

सेवामें,

अधिष्ठाता/निदेशक प्रसार/निदेशक अनुसंधान
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उदयपुर– (राज.)

विषयः आपके अधिनस्थ कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म .... (स्थान का नाम) पर पपीते के पौधे तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर व शर्तो पर कार्य करना।

संदर्भः आपकी विज्ञप्ति क्रमांकः फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006

महोदय,

उपरोक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में मैं कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म ....(स्थान का नाम) पर पपीते के पौधे तैयार करने का इच्छुक हूँ।

1. बेरोजगार कृषि स्नातक का नाम..
2. बेरोजगार कृषि स्नातक के पिता का नाम...
3. डाक का पूर्ण पता...
   ....
4. दूरभाष नम्बर (STD code)...................................मोबाइल..
5. विज्ञप्ति के अनुसार सहित निर्धारित दर प्रति सफल पौधे **रू. 1.60** है। मैं इस दर पर आपकी शर्तो के अनुरूप कार्य करने को सहमत हूँ। सहमति स्वरूप शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मैने हस्ताक्षर कर दिये है। आपकी स्वीकृति के पश्चात् आपके निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करने एवं शीध्र ही कार्य प्रारम्भ करने को भी सहमत हूँ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

दिनांकः..........................

नाम.................................

विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के क्रम में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की विभिन्न ईकाइयों पर पपीते के पौधे तैयार करने की कार्य की शर्तेः–

1. विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के अनुसार **निर्धारित दर रू. 1.60 प्रति सफल पौधे** होगी।
2. पपीते की पौध उद्यान विज्ञान फार्म उदयपुर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर तैयार करनी होगी।
3. पपीते का बीज विश्वविद्यालय द्वारा दिया जावेगा जिसका उपयोग प्रभारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में करना होगा।
4. पपीते के बीज को बाविस्टीन 2 ग्र्रम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करनी होगी। अच्छी वर्मीकम्पोस्ट खाद का प्रभारी उद्यान फार्म के निरीक्षण उपरान्त ही बेरोजगार कृषि स्नातक पौलीथीन की थैली में भरने हेतु उपयोग करेगा।
5. पौध सरंक्षण रसायन, खाद, मिट्टी, पौलीथीन बेग आदि की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
6. बेरोजगार कृषि स्नातक को पपीते के बीज की बुवाई प्रभारी अधिकारी फार्म के निर्देशानुसार उपयुक्त मिश्रण शर्त संख्या 8 के अनुसार (खाद, दवा, मिट्टी) 3 x 7 इंच गजटेड आकार की 200 माइक्रोन भारी गेज के पौलीथीन थैली में भर कर थैलियों को व्यवस्थित रूप से उचित स्थान पर जमाना होगा।
7. कार्य को अनुकूल मौसम एवं उचित समय पर सम्पन्न करना होगा।
8. गजटेड पौलीथीन थैली की साईज 3 x 7 इंच (200 माइक्रोन गेज) काले रंग की होनी चाहिये। **थैली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नही कराई जायेगी** अर्थात् थैली की व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को स्वयं करनी होगी तथा थैली का नमूना प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
9. नर्सरी मिश्रण का अनुपात **मिट्टी (तालाब की मिट्टी), रेत व वर्मीकम्पोस्ट क्रमश 1:1:1 होना चाहियें।** इसकी व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को अपने स्तर पर करनी होगी। इस मिश्रण को थैली में निर्धारित सीमा तक भरना होगा।
10. नर्सरी की तैयारी 15 जून 2007 से पूर्व करना आवश्यक होगा व कार्य की अवधि दिसम्बर 2007 तक रहेगी।
11. पौधों का भुगतान सफल पौधों की गणना के आधार पर किया जायेगा। सफल पौधे की स्वीकारोक्ती के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
12. पौधों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

13. अनुमोदित राशि का अन्तरिम/अन्तिम भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा।

क्र. स.	कार्य का स्तर	भुगतान अनुमोदित दर का % में
1.	पपीते के बीज पौलीथीन की निर्धारित आकार की थैली में उपयुक्त मिश्रण भरने, पपीते के बीज की बुवाई के पश्चात् अंकुरण 2 चक्र आने पर।	20%
2.	पौध की वृद्वि 6 इंच तक होने पर	20%
3.	शेष 60% का भुगतान पौधे 12 इंच होने पर व सुपुर्दगी के पश्चात् किया जावेगा।	60%
	कुल	**100%**

भुगतान किसी भी स्थिति में कुल सफल पौधों (उक्त तालिका के क्रम संख्या 3 में वर्णित स्थिति) के लिये अनुमोदित राशि से अधिक नहीं होगा। अन्तरिम भुगतान करते समय पूर्व में किसी चरण में अधिक भुगतान की स्थिति में अगले चरण में कम भुगतान किया जावेगा, किन्तु अन्तिम भुगतान करते समय कोई राशि वसूली योग्य बनती है, तो उसे नकद जमा करानी होगी या अन्य देय भुगतान से कटौती की जावेगी।

14. विश्वविद्यालय द्वारा सफल पौधें प्राप्त करने से पहले तैयार पौधों का रख–रखाव बेरोजगार कृषि स्नातक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
15. आयकर/अन्य कर की देयता पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी।
16. पौध तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान पौधों की हानि (प्राकृतिक व मानवीय कारणों के कारण) के लिए विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
17. बेरोजगार कृषि स्नातक को श्रम कानूनों (न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि आदि प्रावधानों) की अक्षरसः पालना करनी होगी। विश्वविद्यालय का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
18. सिंचाई के स्त्रोत एवं साधन विश्वविद्यालय में उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध करायें जावेगें। इस कार्य हेतु श्रम की व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
19. खरपतवार निकालना, निराई–गुडाई, पौध सरंक्षण छिडकाव व सिंचाई कार्य (आवश्यकता होने पर) पूर्ण करने होगे।
20. बेरोजगार कृषि स्नातक को कार्य अवधि के दौरान पौधे तैयार कर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
21. जिन थैलियों में पौधों का अकुंरण नही होगा/सफल पौधे तैयार नहीं होगें, उन थैलियों को कार्य समाप्ति के एक माह में महाविद्यालय के परिसर से उठाने का दायित्व बेरोजगार कृषि स्नातक का होगा।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

22. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सेवा कर बेरोजगार कृषि स्नातक को पृथक से देय नही होगा
23. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा कार्य की मात्रा (पौध की संख्या) तय की जायेगी। कार्य को बढ़ाना व कम करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा, उक्त कार्य एक से अधिक व्यक्तियों से करवाया जा सकता है तथा इसके सम्बन्ध में बेरोजगार कृषि स्नातक को कोई भी क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
24. विश्वविद्यालय अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर कृषि बेरोजगार स्नातक को 7 दिन में रू. 100/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
25. विश्वविद्यालय या अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर 10 दिन में कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य नियत तिथि तक प्रारम्भ नहीं करने पर सम्बन्धित कृषि बेरोजगार स्नातक को भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
26. इस अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त विवादों की सुनवाई के लिए जिला उदयपुर राजस्थान में स्थित न्यायालयों को ही श्रवणाधिकार होगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

बेरोजगार कृषि स्नातकों द्वारा पौधे तैयार करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रस्ताव पत्र
(बीजू नीबूं के पौधे तैयार करने हेतु)

सेवामें,

अधिष्ठाता / निदेशक प्रसार / निदेशक अनुसंधान
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उदयपुर– (राज.)

विषयः आपके अधिनस्थ कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म .... (स्थान का नाम) पर बीजू नीबूं के पौधे तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर व शर्तो पर कार्य करना।

संदर्भः आपकी विज्ञप्ति क्रमांकः फ. / मप्रकृप्रौविवि / विज्ञप्ति / 2006–07 / 2184 दिनांक 26.12.2006

महोदय,

उपरोक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में मैं कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म ....(स्थान का नाम) बीजू नीबूं के पौधे तैयार करने का इच्छुक हूँ।

1. बेरोजगार कृषि स्नातक का नाम..
2. बेरोजगार कृषि स्नातक के पिता का नाम..
3. डाक का पूर्ण पता...

   ....
4. दूरभाष नम्बर (STD code).....................................मोबाइल...
5. विज्ञप्ति के अनुसार सहित निर्धारित दर प्रति सफल पौधे **रू. 2.75** है। मैं इस दर पर आपकी शर्तो के अनुरूप कार्य करने को सहमत हूँ। सहमति स्वरूप शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मैने हस्ताक्षर कर दिये है। आपकी स्वीकृति के पश्चात् आपके निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करने एवं शीध्र ही कार्य प्रारम्भ करने को भी सहमत हूँ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

दिनांकः............................

नाम..................................

विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के क्रम में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की विभिन्न ईकाइयों पर बीजू नींबू के पौधे तैयार करने की कार्य की शर्तेः–

1. विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के अनुसार **निर्धारित दर रू. 2.75 प्रति सफल पौधे** होगी।
2. बीजू नीबू के पौधे विश्वविद्यालय की विभिन्न ईकाइयों पर निर्धारित स्थान पर तैयार करनी होगी।
3. बीजू नींबू के बीज विश्वविद्यालय द्वारा दिया जावेगा।
4. बीजू नींबू के बीज को बाविस्टीन 2 ग्र्रम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करनी होगी। अच्छी वर्मीकम्पोस्ट खाद का प्रभारी उद्यान फार्म के द्वारा निरीक्षण उपरान्त ही बेरोजगार कृषि स्नातक पौलीथीन की थैली में भरने हेतु उपयोग करेगा।
5. पौध सरंक्षण रसायन, खाद, मिट्टी, पौलीथीन बेग आदि की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
6. बेरोजगार कृषि स्नातक को बीजू नींबू के बीज की बुवाई प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार उपयुक्त मिश्रण शर्त संख्या 8 के अनुसार (खाद, दवा, मिट्टी) 4 x 8½ गजटेड इंच आकार की 200 माइक्रोन भारी गेज के पौलीथीन थैली में भर कर थैलियों को व्यवस्थित रूप से उचित स्थान पर जमाना होगा।
7. कार्य को अनुकूल मौसम एवं उचित समय पर सम्पन्न करना होगा।
8. गजटेड पौलीथीन थैली की साईज 4 x 8½ गजटेड इंच (200 माइक्रोन गेज) काले रंग की होनी चाहिये। **थैली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नही कराई जायेगी** अर्थात् थैली की व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को स्वयं करनी होगी तथा थैली का नमूना प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
9. नर्सरी मिश्रण का अनुपात **मिट्टी (तालाब की मिट्टी), रेत व वर्मीकम्पोस्ट क्रमश 1:1:1 होना चाहियें।** इसकी व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को अपने स्तर पर करनी होगी। इस मिश्रण को थैली में निर्धारित सीमा तक भरना होगा।
10. पौध की आपूर्ति 15 जुलाई 2007 से पूर्व करना आवश्यक होगा
11. पौधों का भुगतान सफल पौधों की गणना के आधार पर किया जायेगा। सफल पौधे की स्वीकारोक्ती के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
12. पौधों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

13. अनुमोदित राशि का अन्तरिम/अन्तिम भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा।

क्र.स.	कार्य का स्तर	भुगतान अनुमोदित दर का % में
1.	बीजू नीबूं के बीज को पौलीथीन की निर्धारित आकार की थैली में उपयुक्त मिश्रण भरने के पश्चात् अंकुरण होने पर	20%
2.	पौध की वृद्वि 6 इंच तक होने पर	20%
3.	शेष 60% का भुगतान पौधे 12–18 इंच होने पर व सुपुर्दगी के पश्चात् किया जावेगा।	60%
	कुल	**100%**

भुगतान किसी भी स्थिति में कुल सफल पौधों (उक्त तालिका के क्रम संख्या 3 में वर्णित स्थिति) के लिये अनुमोदित राशि से अधिक नहीं होगा। अन्तरिम भुगतान करते समय पूर्व में किसी चरण में अधिक भुगतान की स्थिति में अगले चरण में कम भुगतान किया जावेगा, किन्तु अन्तिम भुगतान करते समय कोई राशि वसूली योग्य बनती है, तो उसे नकद जमा करानी होगी या अन्य देय भुगतान से कटौती की जावेगी।

14. विश्वविद्यालय द्वारा सफल पौधें प्राप्त करने से पहले तैयार पौधों का रख–रखाव बेरोजगार कृषि स्नातक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
15. आयकर/अन्य कर की देयता पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी।
16. पौध तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान पौधों की हानि (प्राकृतिक व मानवीय कारणों के कारण) के लिए विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
17. बेरोजगार कृषि स्नातक को श्रम कानूनों (न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि आदि प्रावधानों) की अक्षरसः पालना करनी होगी। विश्वविद्यालय का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
18. सिंचाई के स्त्रोत एवं साधन विश्वविद्यालय में उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध करायें जावेगें। इस कार्य हेतु श्रम की व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
19. खरपतवार निकालना, निराई–गुडाई, पौध सरंक्षण छिडकाव व सिंचाई कार्य (आवश्यकता होने पर) पूर्ण करने होगे।
20. बेरोजगार कृषि स्नातक को कार्य अवधि के दौरान निर्देशानुसार नीबूं के पौधे तैयार कर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। मात्रा कम या अधिक हो सकती है। मात्रा कम होने पर बेरोजगार कृषि स्नातक कोई क्षतिपूर्ति का दावा नही कर सकेगा।
21. जिन थैलियों में पौधों का अकुंरण नही होगा/सफल पौधे तैयार नहीं होगें, उन थैलियों को कार्य समाप्ति के एक माह में महाविद्यालय के परिसर से उठाने का दायित्व बेरोजगार कृषि स्नातक का होगा।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

22. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सेवा कर बेरोजगार कृषि स्नातक को पृथक से देय नही होगा।
23. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा कार्य की मात्रा (पौध की संख्या) तय की जायेगी। कार्य को बढ़ाना व कम करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा, उक्त कार्य एक से अधिक व्यक्तियों से करवाया जा सकता है तथा इसके सम्बन्ध में बेरोजगार कृषि स्नातक को कोई भी क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
24. विश्वविद्यालय अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर कृषि बेरोजगार स्नातक को 7 दिन में रू. 100/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
25. विश्वविद्यालय या अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर 10 दिन में कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य नियत तिथि तक प्रारम्भ नहीं करने पर सम्बन्धित कृषि बेरोजगार स्नातक को भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
26. इस अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त विवादों की सुनवाई के लिए जिला उदयपुर राजस्थान में स्थित न्यायालयों को ही श्रवणाधिकार होगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

बेरोजगार कृषि स्नातकों द्वारा पौधे तैयार करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रस्ताव पत्र
(बीजू खिरनी की पौध तैयार करने हेतु)

सेवामें,

अधिष्ठाता/निदेशक प्रसार/निदेशक अनुसंधान
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उदयपुर– (राज.)

विषयः आपके अधिनस्थ कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म .... (स्थान का नाम) पर बीजू खिरनी की पौध तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर व शर्तो पर कार्य करना।

संदर्भः आपकी विज्ञप्ति क्रमांकः फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006

महोदय,

उपरोक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में मैं कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म ....(स्थान का नाम) बीजू खिरनी की पौध तैयार करने का इच्छुक हूँ।

1. बेरोजगार कृषि स्नातक का नाम...
2. बेरोजगार कृषि स्नातक के पिता का नाम..
3. डाक का पूर्ण पता..
   ....
4. दूरभाष नम्बर (STD code)....................................मोबाइल..
5. विज्ञप्ति के अनुसार सहित निर्धारित दर प्रति सफल पौधे **रू. 12.00** है। मैं इस दर पर आपकी शर्तो के अनुरूप कार्य करने को सहमत हूँ। सहमति स्वरूप शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मैने हस्ताक्षर कर दिये है। आपकी स्वीकृति के पश्चात् आपके निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करने एवं शीध्र ही कार्य प्रारम्भ करने को भी सहमत हूँ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

दिनांकः...........................

नाम.................................

विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के क्रम में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की विभिन्न ईकाइयों पर बीजू खिरनी की पौध तैयार करने की कार्य की शर्तेः–

1. विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के अनुसार **निर्धारित दर रू. 12.00 प्रति सफल पौधे** होगी।
2. बीजू खिरनी की पौध विश्वविद्यालय की विभिन्न ईकाइयों पर निर्धारित स्थान पर तैयार करनी होगी।
3. खिरनी के बीज की व्यवस्था कृषि स्नातक को स्वयं के स्तर पर करनी होगी ।
4. बीजू खिरनी के बीज को बाविस्टीन 2 ग्र्रम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुवाई अप्रेल–मई माह में करनी होगी। अच्छी वर्मीकम्पोस्ट खाद का प्रभारी उद्यान फार्म द्वारा निरीक्षण के उपरान्त ही बेरोजगार कृषि स्नातक पौलीथीन की थैली में भरने हेतु उपयोग करेगा।
5. पौध सरंक्षण रसायन, खाद, मिट्टी, पौलीथीन बेग आदि की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
6. बेरोजगार कृषि स्नातक को खिरनी के बीज की बुवाई प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार उपयुक्त मिश्रण शर्त संख्या 8 के अनुसार (खाद, दवा, मिट्टी) 15 x 30 गजटेड सेमी आकार की 200 माइक्रोन भारी गेज के पौलीथीन थैली में भर कर थैलियों को व्यवस्थित रूप से उचित स्थान पर जमाना होगा।
7. कार्य को अनुकूल मौसम एवं उचित समय पर सम्पन्न करना होगा।
8. गजटेड पौलीथीन थैली की साईज 15 x 30 सेमी (200 माइक्रोन गेज) काले रंग की होनी चाहिये। **थैली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नही कराई जायेगी** अर्थात् थैली की व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को स्वयं करनी होगी तथा थैली का नमूना प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
9. नर्सरी मिश्रण का अनुपात **मिट्टी (तालाब की मिट्टी), रेत व वर्मीकम्पोस्ट क्रमश 1:1:1 होना चाहियें।** इसकी व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को अपने स्तर पर करनी होगी। इस मिश्रण को थैली में निर्धारित सीमा तक भरना होगा।
10. सफल खिरनी पौध की आपूर्ति जनवरी 2009 तक करना आवश्यक होगा।
11. पौधों का भुगतान सफल खिरनी पौधों की गणना के आधार पर किया जायेगा। सफल पौधे की स्वीकारोक्ती के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
12. पौधों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

12. अनुमोदित राशि का अन्तरिम/अन्तिम भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा।

क्र. स.	कार्य का स्तर	भुगतान अनुमोदित दर का % में
1.	खिरनी के बीज को पौलीथीन की निर्धारित आकार की थैली में उपयुक्त मिश्रण भरने के पश्चात् अंकुरण होने पर	20%
2.	पौध की वृद्वि 30 सेमी तक होने पर	20%
3.	शेष 60% का भुगतान पौधे 60 सेमी होने पर व सुपुर्दगी के पश्चात् किया जावेगा।	60%
	कुल	**100%**

भुगतान किसी भी स्थिति में कुल सफल पौधों (उक्त तालिका के क्रम संख्या 3 में वर्णित स्थिति) के लिये अनुमोदित राशि से अधिक नहीं होगा। अन्तरिम भुगतान करते समय पूर्व में किसी चरण में अधिक भुगतान की स्थिति में अगले चरण में कम भुगतान किया जावेगा, किन्तु अन्तिम भुगतान करते समय कोई राशि वसूली योग्य बनती है, तो उसे नकद जमा करानी होगी या अन्य देय भुगतान से कटौती की जावेगी।

13. विश्वविद्यालय द्वारा सफल पौधें प्राप्त करने से पहले तैयार पौधों का रख–रखाव बेरोजगार कृषि स्नातक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
14. आयकर/अन्य कर की देयता पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी।
15. पौध तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान पौधों की हानि (प्राकृतिक व मानवीय कारणों के कारण) के लिए विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
16. बेरोजगार कृषि स्नातक को श्रम कानूनों (न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि आदि प्रावधानों) की अक्षरसः पालना करनी होगी। विश्वविद्यालय का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
17. सिंचाई के स्त्रोत एवं साधन विश्वविद्यालय में उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध करायें जावेगें। इस कार्य हेतु श्रम की व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
18. खरपतवार निकालना, निराई–गुडाई, पौध सरंक्षण छिडकाव व सिंचाई कार्य (आवश्यकता होने पर) पूर्ण करने होगे।
19. बेरोजगार कृषि स्नातक को कार्य अवधि के दौरान निर्देशानुसार खिरनी की पौध तैयार कर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। मात्रा कम या अधिक हो सकती है। मात्रा कम होने पर बेरोजगार कृषि स्नातक कोई क्षतिपूर्ति का दावा नही कर सकेगा।
20. जिन थैलियों में पौधों का अकुंरण नही होगा/सफल पौधे तैयार नहीं होगें, उन थैलियों को कार्य समाप्ति के एक माह में महाविद्यालय के परिसर से उठाने का दायित्व बेरोजगार कृषि स्नातक का होगा।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

21. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सेवा कर बेरोजगार कृषि स्नातक को पृथक से देय नही होगा।
22. विश्वविद्यालय अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर कृषि बेरोजगार स्नातक को 7 दिन में रू. 100/— के नॉन—ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
23. विश्वविद्यालय या अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर 10 दिन में कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य नियत तिथि तक प्रारम्भ नहीं करने पर सम्बन्धित कृषि बेरोजगार स्नातक को भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
24. इस अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त विवादों की सुनवाई के लिए जिला उदयपुर राजस्थान में स्थित न्यायालयों को ही श्रवणाधिकार होगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

बेरोजगार कृषि स्नातकों द्वारा पौधे तैयार करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रस्ताव पत्र
(चीकू के ग्राफ्टेड पौध तैयार करने हेतु)

सेवामें,

अधिष्ठाता/निदेशक प्रसार/निदेशक अनुसंधान
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उदयपुर– (राज.)

विषयः आपके अधिनस्थ कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म .... (स्थान का नाम) पर चीकू के ग्राफ्टेड पौधे तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर व शर्तो पर कार्य करना।

संदर्भः आपकी विज्ञप्ति क्रमांकः फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006

महोदय,

उपरोक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में मैं कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, उद्यानिकी फार्म ....(स्थान का नाम) चीकू के ग्राफ्टेड पौधे तैयार करने का इच्छुक हूँ।

1. बेरोजगार कृषि स्नातक का नाम...
2. बेरोजगार कृषि स्नातक के पिता का नाम...
3. डाक का पूर्ण पता...

   ....
4. दूरभाष नम्बर (STD code)....................................मोबाइल...
5. विज्ञप्ति के अनुसार सहित निर्धारित दर प्रति सफल पौधे **रू. 22.00** है। मैं इस दर पर आपकी शर्तो के अनुरूप कार्य करने को सहमत हूँ। सहमति स्वरूप शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मैने हस्ताक्षर कर दिये है। आपकी स्वीकृति के पश्चात् आपके निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करने एवं शीध्र ही कार्य प्रारम्भ करने को भी सहमत हूँ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

दिनांकः...........................

नाम.................................

विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के क्रम में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की विभिन्न ईकाइयों पर चीकू के ग्रफटेड के पौध तैयार करने की कार्य की शर्तेः–

1. विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक फ./मप्रकृप्रौविवि/विज्ञप्ति/2006–07/2184 दिनांक 26.12.2006 के अनुसार **निर्धारित दर रू. 22.00 प्रति सफल पौधे** होगी।
2. खिरनी (मूलवृन्त) पौध की व्यवस्था बाह्य स्त्रोत से आपूर्ति करना होगा।
3. पौध सरंक्षण रसायन, खाद, मिट्टी, पौलीथीन बेग आदि की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।
4. कार्य को फरवरी 2007 से प्रारम्भ कर जुलाई 2007 तक पूर्ण करना आवश्यक होगा।
2. पौध की आपूर्ति 31 जुलाई 2007 तक करना आवश्यक होगा।
3. पौधों का भुगतान सफल पौधों की गणना के आधार पर किया जायेगा। सफल पौधे के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
4. पौधों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है।
5. अनुमोदित राशि का अन्तरिम/अन्तिम भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा।

क्र.स.	**कार्य का स्तर**	**भुगतान अनुमोदित दर का % में**
1.	खिरनी के मूलवृंत (दो फीट लम्बाई) सम्बन्धित ईकाई पर आपूर्ति करने पर	20%
2.	ग्राफ्टेड चीकू पौधे की वृद्धि 15 सेमी तक होने पर	20%
3.	शेष 60% का भुगतान सफल ग्राफ्टेड चीकू पौधे 30–45 सेमी होने पर व सुपुर्दगी के पश्चात् किया जावेगा।	60%
	कुल	**100%**

भुगतान किसी भी स्थिति में कुल सफल पौधों (उक्त तालिका के क्रम संख्या 3 में वर्णित स्थिति) के लिये अनुमोदित राशि से अधिक नहीं होगा। पूर्व में अधिक भुगतान की स्थिति में अगले चरण में कम भुगतान किया जावेगा या वसूली होगी।

6. विश्वविद्यालय द्वारा सफल पौधें प्राप्त करने से पहले तैयार पौधों का रख–रखाव बेरोजगार कृषि स्नातक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
7. आयकर/अन्य कर की देयता पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी।
8. पौध तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान पौधों की हानि (प्राकृतिक व मानवीय कारणों के कारण) के लिए विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. बेरोजगार कृषि स्नातक को श्रम कानूनों (न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि आदि प्रावधानों) की अक्षरसः पालना करनी होगी। विश्वविद्यालय का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
10. सिंचाई के स्त्रोत एवं साधन विश्वविद्यालय में उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध करायें जावेगें। इस कार्य हेतु श्रम की व्यवस्था बेरोजगार कृषि स्नातक को करनी होगी।

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक

क्रमशः

11. खरपतवार निकालना, निराई–गुडाई, पौध सरंक्षण छिडकाव व सिंचाई कार्य (आवश्यकता होने पर) पूर्ण करने होगे।
12. बेरोजगार कृषि स्नातक को कार्य अवधि के दौरान निर्देशानुसार मात्रा में चीकू के ग्रफटेड पौधे तैयार कर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। मात्रा कम या अधिक हो सकती है। मात्रा कम होने पर बेरोजगार कृषि स्नातक कोई क्षतिपूर्ति का दावा नही कर सकेगा।
13. जिन थैलियों में पौधों का अकुंरण नही होगा/सफल पौधे तैयार नहीं होगें, उन थैलियों को कार्य समाप्ति के एक माह में महाविद्यालय के परिसर से उठाने का दायित्व बेरोजगार कृषि स्नातक का होगा।
14. विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सेवा कर बेरोजगार कृषि स्नातक को पृथक से देय नही होगा।
15. विश्वविद्यालय अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर कृषि बेरोजगार स्नातक को 7 दिन में रू. 100/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
16. विश्वविद्यालय या अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी करने पर 10 दिन में कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य नियत तिथि तक प्रारम्भ नहीं करने पर सम्बन्धित कृषि बेरोजगार स्नातक को भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
17. इस अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त विवादों की सुनवाई के लिए जिला उदयपुर राजस्थान में स्थित न्यायालयों को ही श्रवणाधिकार होगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर बेरोजगार कृषि स्नातक